

(प्रशासन गावों के संग अभियान- 2021, कैम्प मालेठ)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज०)
पीठासीन अधिकारी- सुनील कुमार चौहान आर.ए.ए

मिसल संख्या:- 02/2022

:-आदेश:-

दिनांक 03/01/2022

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत
व तहसीलदार बुहाना की अभिशाषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136
अनुसरण में ग्राम मालेठ पटवार मण्डल मालेठ की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख
87 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ
को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज क जानी है)
1	<u>मालेठ</u>	<u>87</u>	<u>महेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र</u>	<u>महेन्द्रविहार सुभराम</u>

नोट - रहन यदि कोई हो तो निर्णय/आदेश की पालना रहनमुक्त के पश्चात करे।

क्रमांक :- राजस्व/2021/ 03-04

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)

2. प्रार्थी महेन्द्रविहार पुत्र सुभराम को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना (सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, बुहाना
दिनांक :- 03/01/2022



उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक अधिकारी बुहाना
बुहाना जिला-झुन्झुनूं (राज०)